"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2014— फाल्गुन 5, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 5, 1935)

क्रमांक-3384/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 6 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) राज्य शासन, ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा जो अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से निम्न का ना हो."

उद्देश्य और कारणों का कथन

भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति में कठिनाई उद्भूत हो रही है. अतएव, राज्य शासन ने भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

राजेश मूणत

आवास एवं पर्यावरण मंत्री,

(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 6 (2) का सुसंगत उद्धरण

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

धारा 6 (2) -

उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य शासन, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा, ऐसे जिला न्यायधीश को, जो अ[illegible]य वेतनमान की श्रेणी से निम्न का ना हो, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की पात्रता होगी.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

...य मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.